

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 382]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 25 जुलाई 2017—श्रावण 3, शक 1939

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2017

क्र. डी-15-38-2017-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (24, सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 951-11678, चौदह-1, दिनांक 17 फरवरी 1969 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति देवरी, जिला सागर के अन्तर्गत मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान, उस पर बने समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप मंडी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात्:—

स्थान

ग्राम पंचायत, गोरझामर, तहसील देवरी, जिला सागर के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 2.010 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र:—

| क्रमांक (1) | खसरा क्रमांक (2) | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (3) |
|----------------|---------------------|---------------------------------|
| 1 | 1-137 | 1.810 |
| | 2-136/1 | 0.200 |
| | कुल योग . | 2.010 |

जिसकी सीमाएं

उत्तर में—शासकीय नाला

दक्षिण में—पुराना एन.एच. 26 मार्ग

पूर्व में—शासकीय नाला

पश्चिम में—मानसी नाबालिग पुत्री संजय कुमार का मकान.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2017

क्र. डी-15-38-2017-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 जुलाई 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

Bhopal, the 25th July 2017

No. D-15-38-2017-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declared the following area including all structures, enclosures, open places or locality in the market area for which a market at Devri District Sagar has been established by this department's Notification No. 951/11678/14-1, dated 17th February 1969 shall be the sub market yard, namely:—

PLACE

An area of 2.010 Hectare land of below mentioned Khasra number at Gram Panchayat at Gorjhamar in Tehsil Devri of District Sagar:—

| S. No. (1) | Khasra No. (2) | Area (In Hectare) (3) |
|---------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 1-137 | 1.810 |
| | 2-136/1 | 0.200 |
| All Total . | | 2.010 |

BOUNDED BY

On the North by—Govt. Naala.

On the South by—Old N. H. 26 Road.

On the East by—Govt. Naala

On the West by—House of Underage Mannsi Daughter of Sanjay Kumar.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

B. S. DHURVE, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2017

क्र. डी-15-38-2017-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 जुलाई, 2017 के अधीन घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र देवरी जिला सागर के निम्नलिखित क्षेत्र को मूल मंडी क्षेत्र घोषित करती है:—

क्षेत्र

- (1) ग्राम पंचायत गोरझामर तहसील देवरी जिला सागर की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
- (2) उपमंडी प्रांगण से 5 किलो मीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:—
 - (1) गोरझामर, (2) फतेहपुर, (3) घोषीपट्टी, (4) खामखेड़ा, (5) मढ़ी जमुनिया, (6) गुगवारा, (7) सरखेड़ा, (8) जैतपुर कछया, (9) गंगवारा, (10) बिजोरा, (11) सोनपुर, (12) भजिया, (13) पिपरिया बैनी, (14) अमोदा, (15) बिलगुवां, (16) खोडी, (17) बैरखेरी, (18) सुजानपुर, (19) सिलारपुर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2017

क्र. डी-15-38-2017-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 जुलाई 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

Bhopal, the 25th July 2017

No. D-15-38-2017-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declare that in the relation to the market yard declare *vide* this department's notification even number, dated 25th July, 2017 the following area of Devri of Distirct Sagar shall be sub market yard, namely:—

AREA

- (1) An area within the limit of Gram Panchayat at Gorjhamar in Tehsil Devri of District Sagar.
- (2) An area comprising of the following villages within the raiodius of 5 Kilometers from the Sub market yard namely:—
 - (1) Gorjhamar, (2) Phatehpur, (3) Ghosipatti, (4) Khamkheda, (5) Madhi Jamuniya, (6) Gungwara, (7) Sarkheda, (8) Jaitpur Kachhya, (9) Gangwara, (10) Bijora, (11) Sonpur, (12) Bhajiya, (13) Pipariya Beni, (14) Amoda, (15) Bilgua, (16) Khodi, (17) Berkheri, (18) Sujanpur, (19) Silarpur.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

B. S. DHURVE, Dy. Secy.